

46
25

पत्रावली पैडा हुई। उकील प्राथी डंप।
प्राथी का प्राथना पत्र स्वीकार किया
जाता है। पत्रावली निर्णय पृथक से लिखा
जाकर शासिक सिद्धांत किया गया। निर्णय
को प्राथना हेतु तहसीलदार को तहरीर
जाती है। पत्रावली के साथ शासक को
तहरीर से काम है।

Rajend

Reader
check & Report


कार्टी
२९/०५

श्रीमान न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, बापिणी

जिला फलोदी

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- /2024



प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. डुगरसिंह पुत्र सुल्तानसिंह पुत्र जसवन्तसिंह फौत के कायम मुकाम:-		1. आसुसिंह पुत्र गजेसिंह 2. प्रेमसिंह पुत्र गजेसिंह 3. इन्द्रसिंह पुत्र मेहराजसिंह 4. उम्मेदसिंह पुत्र कल्याणसिंह 5. कुम्भसिंह पुत्र कल्याणसिंह 6. गोपालसिंह पुत्र कल्याणसिंह 7. नरपतसिंह पुत्र कल्याणसिंह 8. भोमसिंह पुत्र कल्याणसिंह 9. मुलसिंह पुत्र कल्याणसिंह 10. हरीसिंह पुत्र कल्याणसिंह फौत के कायम मुकाम
1.1 माणकसिंह पुत्र डुगरसिंह		1.1. छैलुसिंह पुत्र हरीसिंह
1.2 गवरा कंवर पुत्री डुगरसिंह		1.2. सोहनसिंह पुत्र हरीसिंह
1.3 पेम्पों कंवर पुत्री डुगरसिंह		1.3. सुआ कंवर पत्नी हरीसिंह
1.4 रूपों कंवर पुत्री डुगरसिंह		1.4. लिछमणसिंह पुत्र हरीसिंह फौत के कायम मुकाम
1.5 तुलछी पुत्री डुगरसिंह		1.4.1. स्वरूपसिंह पुत्र लिछमणसिंह
1.6 चुनी कंवर पत्नी डुगरसिंह		
सभी जाति राजपुज निवासी ईशरू तहसील लोहावट जिला फलोदी।		



२६ माणकसिंह

1.4.2. रूकमों कंवर

पत्नी लिछमणसिंह

11. मेघसिंह पुत्र हुक्मसिंह

12. सुरज कंवर पत्नी हुक्मसिंह

जाति राजपुत निवासी ईशरू

तहसील बापिणी जिला

फलोदी।

13. तहसीलदार बापिणी भूमिधारी

सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत हिस्सा

दुरूस्ती बाबत

मान्यवरजी,

प्रार्थीगण की ओर से निम्न प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि :-

1. यह है कि प्रार्थीगण के पिता स्व: डुगरसिंह पुत्र सुल्तानसिंह के नाम की खातेदारी अधिकारो की कृषि भूमि तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम ईशरू के खसरा नम्बर 360 रकबा 4.5406 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 434 रकबा 6.5073 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 793 रकबा 0.5099 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 408 रकबा 3.9821 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 412 रकबा 0.7608 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 412/1 रकबा 0.1942 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 450 रकबा 3.3022 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 492 रकबा 9.0973 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 496 रकबा 11.8249 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 781 रकबा 2.8490 हैक्टेयर एवं दादा स्व: सुल्तानसिंह पुत्र जसवन्तसिंह के नाम खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 414 रकबा 0.9389 हैक्टेयर, जमीन में बन्ट व हिस्सा है। उक्त खसरान् की चालू चौसाला जमाबन्दी सलग्न है।


2. यह है कि प्रार्थीगण के पिता के नाम की उक्त खसरान् में सेग्रीकेशन के दौरान हिस्सा-कस्सी गलत दर्ज कर दी गई हैं जिसको सही करवाने के लिए जमाबन्दी चौसाला सम्वत 2012-2025 के खाता नम्बर

२०१७/१६

326 में सुल्तानसिंह पुत्र जसवन्तसिंह 1/2, कल्याणसिंह, इन्द्रसिंह पिता मेहराजसिंह 1/4, गायडसिंह पुत्र जीवराजसिंह 1/4 वें के खातेदार कास्तकार दर्ज थे। उसी अनुसार खाता सही करवाना हैं कालान्तर में राजस्वकर्मीयों द्वारा नयी जमाबन्दी चौसाला बनाते वक्त हिस्सा गलत दर्ज कर दिये। जिसे प्रार्थीगण सही करवाना चाहते हैं। जमाबन्दी सम्वत 2012-2025 की प्रति सलग्न पेश है।

3. यह है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का सजरा-खानदान की वंशावली निम्नानुसार हैं।

-:: सजरा खान-दान ::-



उपरोक्त वंशावली अनुसार हिस्सा-कस्सी वक्त सेटलमेन्ट से दर्ज हैं और उसी अनुरूप वर्तमान जमाबन्दी खतौनी में करवाना चाहते हैं।

4. यह हैं कि उपरोक्त खसरान् में वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के खाता नम्बर 324 में सभी परिवाजनों के खातेदारान् की हिस्सा-कस्सी सही दर्ज हैं जो इनकी सेटलमेन्ट की ढाणी हैं यानि इसी प्रकार उक्त शेष खसरान् में दर्ज की जानी हैं। प्रार्थीगण का हिस्सा अशुद्ध दर्ज चला आ रहा है। जिसको शुद्ध किया जाकर प्रार्थीगण का 1/4 वां हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड में किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश है।

5. यह है कि उपरोक्त वर्णित वर्तमान जमाबन्दी चौसाला सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 266, 267, 303, 442 की भूमि में प्रार्थीगण का 1/4 वां हिस्सा बन्ट में आता है परन्तु अप्रार्थीगण संख्या 14 के कार्मीकों द्वारा भुलवंश राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थीगण के हक हिस्से

26/08/2024

में अप्रार्थीगण का हिस्सा अधिक इन्द्राज होने से प्रार्थीगण का हक हिस्सा प्रभावित हो गया है जिसको दुरुस्त किये जाने के लिए प्रार्थीगण की हिस्सा कस्सी दुरुस्त की जानी आवश्यक है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश है।

6. यह है कि प्रार्थीगण ने राजस्व रेकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए हल्का पटवारी व तहसीलदार बापिणी से निवेदन किया गया तो हल्का पटवारी एवं तहसीलदार बापिणी ने प्रकरण में धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू होने का कहकर दिनांक 25.07.2024 को राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्त करने से इन्कार कर देने से यह प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत है।
7. यह है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम ईशरू में स्थित होने से प्रार्थना पत्र बाबत सुनवायी का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम ईशरू के खसरा नम्बर 360 रकबा 4.5406 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 434 रकबा 6.5073 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 793 रकबा 0.5099 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 408 रकबा 3.9821 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 412 रकबा 0.7608 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 412/1 रकबा 0.1942 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 450 रकबा 3.3022 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 492 रकबा 9.0973 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 496 रकबा 11.8249 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 781 रकबा 2.8490 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण के नाम हिस्सा 1/4 भूमि दर्ज जावें। तथा राजस्व रेकॉर्ड को हिस्सा दुरुस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें। अन्य आज्ञा जो प्रार्थीगण के हक में उचित हो सादीर फरमायी जावें। दिनांक :- 25.07.2024

राजूराम चौधरी (पत्नी)
एडवोकेट

रुद्र साणुकरि

